रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249044 CG-DL-E-03102023-249044

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/ आश्विन 5, 1945

No. 554]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.िन. 698(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 464 (अ), तारीख 28 जून, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अविध के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 28 जून, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है :

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

6160 GI/2023 (1)

- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 126-घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात-
- "126-ड. भारत नई कार निर्धारण कार्यक्रम –(1) इस नियम के अधीन कार निर्धारण कार्यक्रम 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके पश्चात देश में विनिर्मित या आयातित श्रेणी एम1 के अनुमोदित प्रकार के यानों पर लागू होगा।
- (2) 1 अक्टूबर 2023 से, मोटर यानों के विनिर्माता या आयातक अपने मोटर यान का परीक्षण और एआईएस:197 के अनुसार स्टार रेटिंग दिलवाने के लिए निर्धारण कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित किए गए अभिहित अभिकरण को प्ररूप 70क में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (3) स्टार रेटिंग के लिए निर्धारण के प्रयोजन के लिए मोटर यान की लागत और ऐसे निर्धारण की लागत संबंधित विनिर्माता या आयातक द्वारा वहन की जाएगी।
- (4) मोटर यानों का एआईएस-197 के अनुसार निर्धारण के प्रयोजनार्थ विनिर्माता, आयातक या विनिर्माता या आयातक के अधिकृत डीलर के परिसर से अभिहित अभिकरण द्वारा यादच्छिक रूप से चयन किया जाएगा।
- (5) अभिहित अभिकरण उप-नियम (2) में चयनित यानों के निर्धारण के लिए नियम 126 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण अभिकरण का चयन करेगा।
- (6) विनिर्माता या आयातक चयनित यानों को उप-नियम (4) के अधीन चयनित परीक्षण अभिकरण को भेजेगा।
- (7) परीक्षण अभिकरण एआईएस-197 के अनुसार यानों का मूल्यांकन करेगा और अभिहित अभिकरण को प्ररूप 70-ख में निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (8) परीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुमोदन पर, अभिहित अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर यान की स्टार रेटिंग अपलोड की जाएगी।
- (9) इस नियम की कोई बात नियम 126 के अधीन छूट प्राप्त यान पर लागू नहीं होगी।"
- 3. उक्त नियमों के प्ररूप 69 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"प्ररूप सं. 70 क					
	[नियम <i>'</i>	126 ड. (1) देखें]			
स्टार रेटिंग के लिए आवेदन हेतु	यान के विनिर्माता या	आयातक द्वारा अभिहित अभिक	रण को प्रस्त	ात किया जाने वाला	
		,		5	
		प्ररूप			
आवेदन पहचान पत्र	(स्वतः उत्पन्न)		तारीख	(स्वतः उत्पन्न)	
			•		
यान चयन स्थल:					
निर्माता का परिसर / आयातक का	(विषय वस्तु)				
परिसर / अधिकृत डीलर का					
परिसर					
वाहन चयन स्थल का पता (विषय वस्तु)					
विनिर्माता/आयातक के एम1 प्रवर्ग	के सभी मॉडलों की पि	छले वर्ष बिक्री की कल मात्रा र्व	ो जानकारी	•	
3					
मॉडल की पिछले वर्ष की बिक्री की मात्रा के बारे में जानकारी					
प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्या					
					
यान की कंपनी	(विषय वस्तु)				
यान मॉडल	(विषय वस्तु)				
चेसिस संख्या		प्रत्येक नमूने के ब्योरे प्रदान करे			
इंजन संख्या/मोटर पहचान सं (विषय वस्तु) - कृपया प्रत्येक नमूने के ब्योरे प्रदान करें					
	·		·	<u></u>	

प्रचलित एआईएस-007	संस्करण					
के अनुसार परीक्षण ३						
को केंद्रीय मोटर यान						
अनुमोदित तकनीकी वि	शिष्टताओं					
विनिर्दिष्टियाँ						
उत्पादन बैच और उत्प	 ਸਟਰ ਨੀ					
जलादन बच जार उत् मात्रा के ब्योरे जिससे						
	यान का					
चयन किया गया था।						
चयनित यानों/मॉडलों र्व	ो संख्या।					
नियम 126ड. के अधीन	`					
अभिकरण द्वारा यान	चयन की					
तारीख।						
(अतिरिक्त जानकारी के	लिए और शीट जोडें.	यदि कोई हो।				
1	<u> </u>					
मैं/हम, एआईएस-197 को अभिहित अभिकरण					`ऊपर विनि	र्दिष्ट मोटर यान(यानों)
(विनिर्माता/आयातक का	एका नाम और एटा	١				
(।भागमाता/जाभाताम भग	, पूरा गाम जार गता		}(211/211/21	-/ 1116	000	
		।वा	नेर्माता/आयात	•		
•				के ह	हस्ताक्षर	
तारीख						
कार्यालय पृष्ठांकन						
संदर्भ संख्या		कार्याल	य			
			ा सं. 70 ख			
		[नियम 1:	26 ड़(6) देखें]			
अभिहित अ	ाभिकरण को परीक्ष ण	ा अभिकरण द्वा	रा प्रस्तुत की ज	ाने वाली नि ^ध	र्शारण रिपोर्ट	े का प्ररूप
,					•	_
आवेदन पहचान पत्र	(स्वतः उत्पन्न)				तारीख	(स्वतः उत्पन्न)
प्रकार अनुमोदन प्रमाणप	 गत्र संख्या				<u>.</u>	•
निर्धारण करने वाले पर <u>ी</u>						
नाम और पता	41.1 41.1 1/1 1/1					
गाम जार पता						
यान की कंपनी						
यान मॉडल						
चेसिस संख्या						

_	THE	GAZETTE	OF INDIA ·	FXTRAOI	SDINARY

इंजन संख्या /मोटर पहचान सं	
यान चयन की तारीख	
परीक्षण अभिकरण द्वारा चयनित यान की प्राप्ति की तारीख	
स्थल का पता जहां परीक्षण किया गया था	
निर्धारण के लिए सुसंगत मानी जाने वाली विनिर्दिष्ट रिपोर्टें/संलग्नक।	
निष्कर्ष	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम, हस्ताक्षर।	
(अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, के लिए अ	ौर शीट जोड़ें) -

के द्वारा सत्यापित	के द्वारा अनुमोदित
नाम :	नाम :
पदनाम :	पदनाम :

कार्यालय पृष्ठांकन

	•	,	
सदभ	सख्या	कार्यालय	1"

[फा.सं. आरटी -11036/78/2022-एमवीएल] महमुद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 663(अ), तारीख 12 सितंबर, 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2023

G.S.R. 698(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 464 (E), dated the 28th June 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th June, 2023;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), after rule 126D, the following rule shall be inserted, namely:-
- "126E. Bharat new car assessment programme.- (1)The car assessment programme under this rule shall be applicable on the type approved vehicles of category M1, manufactured or imported in the country on or after the 1st day of October, 2023.
- (2) On and from the 1st day of October 2023, the manufacturer or importer of motor vehicles shall submit an application in FORM 70A, to the designated agency, designated by the Central Government to get their motor vehicle examined and assessed for star rating in accordance with AIS:197.
- (3) The cost of the motor vehicle for the purpose of assessment for star rating and the cost of such assessment shall be borne by the respective manufacturer or importer.
- (4) The motor vehicles for the purpose of assessment shall be randomly selected by the designated agency, from the premises of the manufacturer, importer, or authorised dealer of the manufacturer or importer, in accordance with AIS-197.
- (5) The designated agency shall select any of the testing agency, referred to in rule 126, for the assessment of the vehicles selected in sub-rule (2).
- (6) The manufacturer or importer shall send the selected vehicles to the testing agency selected under sub-rule(4).
- (7) The testing agency shall evaluate the vehicles in accordance with AIS-197 and submit the assessment report to the designated agency in FORM 70B.
- (8) On examination and approval of the assessment report, the star rating of the vehicle shall be uploaded on the designated portal by the designated agency:
- (9) Nothing in this rule shall apply to a vehicle exempted under rule 126.".
- 3. After FORM 69 of the said rules, the following forms shall be inserted, namely: -

	-	ORM 70 A				
	-	rule 126 E (1)]				
Form for application for star	_	-	mporter o	f the vehicle to the		
A 1' 4' TD	designated agency					
Application ID	(Autogenerate)		Date	(Autogenerate)		
Site of Vehicle Selection:						
Manufacturer's premises /	(text box)					
Importer's premises / Authorised						
dealer's premises						
Address of vehicle selection site	election site (text box)					
Information about last year's to	tal sales volume of a	all the models of M1 category	of the ma	nufacturer/ importer		
Information about last year's sa	les volume of the mo	odel				
Type approval Certificate No.						
X7 1 ' 1 - 3 # 1	(1 1)					
Vehicle Make	(text box)					
Vehicle Model	(text box)					
Chassis No.	(text box) – Please pr	rovide details of each sample				
Engine No./ Motor Identification	(text box) – Please pr	rovide details of each sample				
No.						
Central Motor Vehicles Rules						

approved Technical						
specifications to the						
testing agency as per						
prevalent AIS-007 version.						
Details of production batch and						
production volume from which						
vehicle selection was done.						
No of vehicles/models selected.						
Date of vehicle selected by the						
designated agency under rule						
126E.						
(Add more about for additional info)				
(Add more sheets for additional info	rmation, if a	ny)				
I/We, wilfully consent to transfer or evaluation as specified in AIS-197 a		vehicle(s) s	specified a	bove to the de	esignated ag	ency for the purpose of
	••••					
(Full Name and address of the Manu Date N			Authorised	Signature of representative		
Ref. Number.		FORM [see rule	NO. 70 B 126E(6)]			
Form for assessment re	port to be si	ubmitted	by the test	ing agency to	the design	ated agency
Application ID (Autogenera	te)				Date	(Autogenerate)
						(8 ,
Type approval Certificate No.						
Name and address of testing agency						
conducting assessment						
Vehicle Make						
Vehicle Model						
Chassis No.						
Engine No./ Motor identification nu	mber					
Date of vehicle selected						
Date of receipt of the selected vehicle testing agency	le by					
Address of Site where testing was cout	nrried					
Specific reports / enclosures considerelevant for assessment.	red					
Conclusions						
Name, signature of authorised signa signatories.	tory/					

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	7
(Add more sheets for additional i	information, if any) -	
Verified By	Approved By	
Name : Designation :	Name : Designation :	
OFFICE ENDORSEMENT		
Ref. Number	Office of the	
		[F. No. RT-11036/78/2022-MVL]
		MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 663(E), dated the 12th September, 2023.